राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1147/2013/बांरा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, प्रतिकरापवंचन,कोटा — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स संजय कुमार सत्येन्द्र कुमार
बांरा — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 31.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 08/**वैट**/2011–12/बांरा में पारित आदेश दिनांक 29.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन वृत–कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 1,23,944/– को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 09.11.2011 को वाहन संख्या आर जे 28जी–0582 को रूचि सोयां बांरा के यहां चेक किया । वक्त चेकिंग वाहन मं 225 बोरी सोयबीन लदा हुआ था,जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर कृषि उपज मण्डी समिति,बांरा द्वारा जारी निर्यात प्रतिवेदन संख्या 87/432 दिनांक 08.11.2011, बिल्टी संख्या 9698 दिनांक 08.11.2011 एवं बिल संख्या 4251 दिनांक 08.11.2011 दो प्रतियों में आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि उनमें माल भेजने वाले व पाने का पूर्ण नाम व पता, पंजीयन संख्या, माल का विवरण, तोल एवं मोल आदि का विवरण अंकित है लेकिन वाहन के साथ उपलब्ध बिल की दो प्रतियों पर बिल क्रमांक हाथ से लिखे हुए थे, प्रथम कोपी पेन से बनी हई थी एवं दूसरी प्रति कार्बन से बनी थी। इसके अतिरिक्त बिल कमांक 4251 की जो बिल बुक प्रस्तुत की गई है उसमें उपलब्ध कार्यालय प्रति पर बिल कमांक प्रिन्टैड थे और बिल बुक की प्रति कार्बन कापी नहीं होकर पेन से बनाई हुई मूल प्रति के रूप में थी तथा प्रथम व द्वितीय प्रति हस्ताक्षरित थी जबकि बिल बुक की तीसरी प्रति पर हस्ताक्षर नहीं थे। दस्तावेजों की जांच पर यह भी पाया गया कि वाहन के साथ उपलब्ध प्रथम द्वितीय प्रति में कांट छांट थी जबकि

बिल बुक में तीसरी प्रति में कोई कांटछांट नही थी। उक्त प्रकार से वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि करापवंचन की नियत से दस्तावेजों में कांट छांट कर माल का परिवहन किया गया है इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत नही करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,23,944/–आरोपित करते हुए शास्ति आदेश दिनांक 09.11.2011 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील का निस्तारण दिनांक 29.01.2013 को करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रू. 1,23,944/–को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि जो बिल वक्त जांच प्रस्तुत किया गया है उसका मिलान कार्बन कापी एवं मूल बिल की प्रति से नहीं होता है इसलिए पृथम दृष्टया स्पष्ट है कि माल का परिवहन करापवंचन की नियत से किया जा रहा था। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण की वास्तविक परिस्थित पर विचार किये बिना ही शास्ति को अपास्त किया है,जो विधि के विरूद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद सूचना अपील सुनवाई के समय कोई भी उपस्थत नहीं हुआ है इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग बिल संख्या 4251 दिनांक 08.11.2011 दो प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है,जिसमें प्रथम प्रति पर इनवॉयस नम्बर 4251 प्रिन्टेड एवं दूसरी कार्बन कापी पर हाथ से लिखा हुआ है। दोनों प्रतियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दो प्रतियों के बनाने में काफी अन्तर है जैसे जिन्स, तादाद बोरी, भरती, वजन एवं दर के कॉलम में अंकित विवरण में अन्तर है। काबन कापी में कांट छांट की हुई है। इसके अतिरिक्त

मूल बिल में किसी के हस्ताक्षर नहीं है जबकि कार्बन प्रति में लघु हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने पर प्रत्यर्थी फर्म की ओर से 09.11.2011 को जवाब प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

"उक्त विषय में निवेदन है कि आपका नोटिस पेशी दिनांक 16.11.2011 की सभी बातों को मैं स्वीकार करता हूँ तथा आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे केस को आज ही निपटाने का कष्ट करें। नियमानुसार शास्ति पेटे एक चेक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। वैट की राशि मैं स्वयं जमा करवा दूँगा।

नोटिस के जवाब में इस प्रकार की स्वीकारोक्ति करने का तात्पर्य यही निकाला जायेगा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापंवचन की नियत से माल का परिवहन किया जा रहा था और कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष शास्ति आरापित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था इसलिए उन्होंने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अपास्त करना विधि के प्रतिकूल एवं तथ्यों के परे है। प्रकरण के समस्त पर विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता है । अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य